न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 141/2020

1. सतवीर पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1 भागीरथ पुत्र श्योदत जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

2 मनरूप पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

3 जयप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

4 हरदत पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

5 रोशनी पुत्री भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी
वकील श्री रोहताश शर्मा : प्रतिवादीगण

दिनांक : 24.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 166/158 के खसरा सं0 3/1 की 0.9740है0, खसरा सं0 418 की 4.4020है0, खसरा सं0 579 की 1.1640है0 कुल 6.5400है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 भागीरथ के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता श्योदत की खातेदारी हुआ करती थी। श्योदत के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवांदी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा [illegible]0 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीन[illegible] पेश [illegible]ये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य [illegible]

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु सतवीर पुत्र भागीरथ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भा[illegible] संवत 2071–74 के खसरा सं0 166/158 प्रदर्श 1 है। खसरा मिलान ग्राम भाडी संवत 2019 प्रदर्श 2 है। सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भाडी संवत 2038 प्रदर्श 3 है। व वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में चार पुत्र सतबीर, मनरूप, जयप्रकाश हरदत व एक पुत्री रोशनी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा भाडी के खाता सं0 166/158 के खसरा सं0 3/1 की 0.9740है0, खसरा सं0 418 की 4.4020है0, खसरा सं0 579 की 1.1640है0 कुल 6.5400है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 भागीरथ के के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 4 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं0 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 166/158 के खसरा सं0 3/1 की 0.9740है0, खसरा सं0 418 की 4.4020है0, खसरा सं0 579 की 1.1640है0 कुल 6.5400है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 भागीरथ के के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सतवीर व प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ, प्रतिवादी सं0 2 मनरूप, प्रतिवादी सं03 जयप्रकाश, प्रतिवादी सं04 हरदत, को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:25
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 141/2020

1. सतबीर पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1 भागीरथ पुत्र श्योदत जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

2 मनरूप पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

3 जयप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

4 हरदत पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

5 रोशनी पुत्री भागीरथ जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 166/158 के खसरा सं0 3/1 की 0.9740है0, खसरा सं0 418 की 4.4020है0, खसरा सं0 579 की 1.1640है0 कुल 6.5400है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 भागीरथ के के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सतबीर व प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ, प्रतिवादी सं0 2 मनरूप, प्रतिवादी सं03 जयप्रकाश, प्रतिवादी सं04 हरदत, को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner